No.79/12/2023-Adm.I Government of India Ministry of Labour and Employment Labour Bureau

Shram Bureau Bhawan, Block No. II, Institutional Area, Sector 38 West, Chandigarh-160036. Dated: 21.08.2023.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Completion of 7 courses on iGOT Karmayogi Platform.

The Ministry of Labour & Employment, vide their O.M. No. Z-20025/06/2023-Adm.I dated 18.08.2023, has requested all officials of the Ministry, including attached/subordinate offices/ autonomous bodies under the Ministry, to complete the following seven courses on the iGOT Karmayogi Platform, as per recommendation of the DoP&T and the Capacity Building Commission to promote role-based capacity building of Government Employees, within one month of issue of the order:-

- i) POSH
- ii) Code of Conduct for Government Employees.
- iii) Introduction to Emerging Technologies.
- iv) Y-Break Yoga at Workplace
- v) Orientation Module on Mission LIFE
- vi) Stay Safe in Cyber Space
- vii) Child Rights with Special Focus on Juvenile Justice System.
- 2. In view of the above, all officials/officers of Labour Bureau are requested to kindly ensure completion of the aforesaid courses on the iGOT Karmyogi Platform by 15.09.2023, positively. The iGOT Karmyogi Platform can be accessed by visiting <u>igotkarmayogi.gov.in</u> and by using the official e-mail credentials to login.

(Alka Soni) Deputy Secretary

To,

1. All officers/officials of Labour Bureau and all the Regional Offices.

2. PS to DGLB. PA to DDG(SSN)/DDG(BB)/DDG(DM).

- 3. Head of Office(s), Regional Office, Labour Bureau, Kolkata, Ahmedabad, Chennai, Kanpur, Jaipur, Indore, Mumbai, Guwahati, Hyderabad; with request to submit compliance report by 15.09.2023.
- 4. MTU with request to provide necessary assistance during the exercise and for uploading the circular on the website.
- 5. Hindi division to provide translation.

संख्या ७९/१२/२०२३-प्रशा०। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यरो

श्रम ब्यूरो भवन, खंड संख्या-2, संस्थागत भवन सेक्टर 38 वेस्ट, चण्डीगढ़-160036 दिनांक- 21.8, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 7 पाठ्यक्रमों कोप्रा करना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने ओ.एम.संख्या जेड-20025/06/2023-प्रशा०। दिनांक 18.08.2023 के अनुसार मंत्रालय के सभी अधिकारियों, जिनमें मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय शामिल हैं, से आईजीओटीकर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित सात पाठ्यक्रमों को, सरकारी कर्मचारियों की भूमिका-आधारित क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए डी.ओ.पी.टीऔर क्षमता निर्माण आयोग की सिफारिश के अनुसार इस आदेश के जारी होने के एक महीने के भीतर पूरा करने का अनुरोध किया है,:-

- पी.ओ.एस.एच i)
- सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता ii)
- उभरती प्रौद्योगिकियों से परिचय
- कार्यस्थल पर वाई-ब्रेक योग
- मिशन लाइफ पर ओरिएंटेशन मॉड्यूल
- साइबर स्पेस में सुरक्षित रहना vi)
- किशोर न्याय प्रणाली पर विशेष ध्यान देने सहित बाल अधिकार
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्रम ब्यूरो के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि कृपया 15.09.2023 तक आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित करें।आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को igotkarmayogi.gov.in पर जाकर और लॉगिन करने के लिए आधिकारिक ई-मेल क्रेडेंशियल का उपयोग करके ऐक्सेस किया जा सकता है।

21/08/23 (अलका सोनी) उप सचिव

1. श्रम ब्यूरो एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी अधिकारी/कर्मचारी

2. डीजीएलबी के पी.एसडीडीजी(एस.एस.एन)/डीडीजी(बी.बी)/डीडीजी(डी.एम) के पी.ए 3. कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, श्रम ब्यूरो, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, कान्पुर, जयपुर, इंदौर, मुंबई,

गुवाहाटी, हैदराबाद को 15.09.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित।

4. एमटीयू को इस प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान करने और वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध सहित